

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

दिनांक: 16.06.2016

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/172
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00171
CICOM/R/2015/00387

अपीलकर्ता : श्री अजीत कुमार सिंह,
दूसरा तल, इभा मेशन, 37, शरत चन्द्र पथ,
घंटाघर चौक, भागलपुर, 812001 (बिहार),

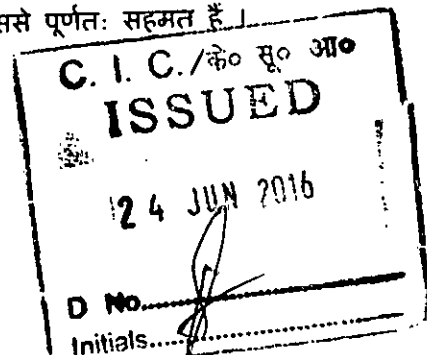
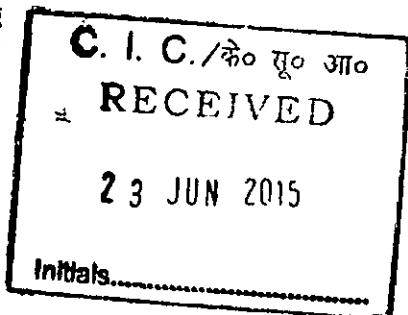
निर्णय की तारीख: 16.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	31.03.2016, 31.03.2016, 30.03.2016, 01.04.2016, 07.04.2016, 30.03.2016, 22.04.2016,
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी.के.शर्मा, श्री टी.के.मोहापात्रा, श्री एस.सी. शर्मा, श्री आर.एल.गुप्ता, श्री विजय भल्ला, श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री बाबू लाल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.03.2016, 24.05.2016, 25.05.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	127238/07.04.2016, 140264, 140265, 140267, 140268, 140269, 140270, 140272, 140273/31.05.2016,
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	205/08.04.2016, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/01.06.2016,

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 5 बिंदुओं पर केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने से संबंधित जानकारी मांगी थी। जिसके प्रतउत्तर में श्री वी.के.शर्मा, श्री टी.के.मोहापात्रा, श्री एस.सी. शर्मा, श्री आर.एल.गुप्ता, श्री विजय भल्ला, श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री बाबू लाल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा अभियोग लगाया है कि श्री वी.डी.नानीवाडेकर, जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि:-

- श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, 2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-के.वाई. कार्यालय, 3. श्री विजय भल्ला, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.एच. कार्यालय, 4. श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय तथा 5. श्री टी.के.मोहापात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एम.पी., कार्यालय द्वारा बिंदु सं. 1 से 5 तक पांचों बिंदुओं पर बिंदुवार सूचना प्रदान कर दी गई है जो कि बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।
- श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान कर दी गई है जो कि बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।



- श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिंदुवार नहीं है, अतः श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना बिंदुवार उपलब्ध करवाई जाए ।
 - श्री वी.डी.नानीयाडेकर, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गई है अतः श्री आर.पी.गोवर, वर्तमान उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित बिंदुवार सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर.पी.गोवर, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली । - 23/06/16
3. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री आर.एल.गुप्ता, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.एस. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
5. श्री विजय भल्ला, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.एच. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
6. श्री टी.के.मोहापात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एम.पी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
7. श्री कृष्ण अवतार तलवार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-के.वाई. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
8. श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
9. श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।